राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

क्रमांकः–एफ–4 / वित्त / टि.प्रेस / 2017 / 299 दिनांक 06.11.2017

मैसर्स----------

विषयः–निगम मुद्रणालय में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की रद्दी के विक्रय हेतु सीमित बोली ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रिंटिंग प्रेस, मुख्यालय जयपुर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की रद्दी के विक्रय हेतु वर्ष 2017–18 (एक वर्ष) के लिए सीमित बोली के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र (संलग्न है) में दरें आमंत्रित की जा रही है। बोली के सम्बन्ध में नियम एवं शर्ते संलग्न है ।

अतः आप अपने प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में दिनांक 21.11.2017 समय 15.00 बजे तक निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में प्रस्तुत करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

महाप्रबन्धक (वित्त)

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर

रद्दी बोली की शर्ते एवं नियम

निगम की प्रिटिंग प्रेस, मुख्यालय जयपुर में उपलब्ध रद्दी कागज एवं टाट आदि विक्रय हेतु वर्ष 2017–18 (एक वर्ष) के लिए मोहर बन्द सीमित बोलियॉ आमंत्रित की जाती है जिसकी शर्ते एवं नियम निम्न प्रकार है :–

1 बोली दिनांक 21.11.2017 को दोपहर 15.00बजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पहुॅच जानी चाहिये । प्राप्त बोलियॉ उसी दिन दोपहर 15.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष महा प्रबन्धक (वित्त) के कक्ष में खोली जावेगी ।

2 (अ) क्रय दर स्पष्ट रूप से निगम मुद्रणालय में उपलब्ध सफेद/श्रेडेड पेपर कतरन/मेलट पेपर/इनर कोर/प्लास्टि टाट के लिए प्रति किलोग्राम एवं खाली डिब्बों/बाल्टी के लिए प्रति नग के हिसाब से पृथक–2 देवें ।

(ब) मुद्रणालय की सभी प्रकार की रद्दी को प्रथम बार सम्पूर्ण रूप से उठानी होगी एवं बाद में दो माह में एक बार अथवा निगम निर्देशानुसार आवश्यक रूप से उठानी होगी ।

3 रद्दी कागज, टाट, खाली डिब्बे आदि को कार्यालय समय में निगम प्रिटिंग प्रेस, मुख्यालय जयपुर में प्रेस प्रभारी की पूर्व अनुमति से देखा जा सकता है ।

4 सफल बोलीदाता द्वारा उक्त रद्दी सहायक लेखाधिकारी (टिकिट) के प्रतिनिधि, प्रेस प्रभारी/प्रेस प्रभारी के प्रतिनिधि एवं सुरक्षा प्रहारी की उपस्थिति में निगम प्रिटिंग प्रेस के कांटे/बाहरी धर्म कांटे पर तुलवाना होगा एवं उनके आदेश अनुसार ही रद्दी की सुपुर्दगी की व्यवस्था होगी ।

5 उपरोक्त रद्दी को सफल बोलीदाता द्वारा प्रिटिंग प्रेस में " जहॉ जैसी स्थिति में, उसी स्थिति में " पूर्ण मात्रा में उठानी होगी ।

6 उपरोक्त रद्दी का विक्रय अनुबन्ध आदेश जारी दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा । जिसे आपसी सहमति से आगे 06 माह तक बढाया जा सकेगा ।

7 सफल बोलीदाता द्वारा रद्दी विक्रय अनुबन्ध के अनुसार रद्दी नहीं उठाने की स्थिति में उसकी जोखिम और लागत पर अन्य बोलीदाता को रद्दी उठाने का आदेश दिया जा सकेगा तथा प्रथम सफल बोलीदाता की जमा बिड सिक्यूरिटी (धरोहर) राशि निगम हित में जप्त कर ली जावेगी ।

8 बोली में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को 2000/–रूपये (अक्षरें दो हजार रूपये मात्र) बिड सिक्यूरिटी (धरोहर) राशि नगद अथवा डी.डी. जो कि वित्तीय सलाहकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के नाम से देय हो, बोली के साथ संलग्न कर जमा करवानी होगी ।

9 प्रथम उच्चतम बोलीदाता से अनुबन्ध होने के पश्चात अन्य बोलीदाताओं की जमा बिड सिक्यूरिटी (धरोहर) राशि बिना ब्याज के लौटायी जा सकेगी ।

Scanned by CamScanner

10 सफल बोलीदाता को बिड सिक्यूरिटी (धरोहर) राशि रद्दी विक्रय अनुबन्ध की सफल समाप्ति के दो माह पश्चात ही बिना ब्याज के लौटायी जा सकेगी ।

11 कुल रद्दी की अनुमानित कीमत की 75 प्रतिशत राशि रद्दी उठाने से पूर्व जमा करानी होगी तथा शेष राशि वास्तविक वजन के अनुसार तुरन्त जमा करानी होगी । यदि रद्दी का वजन निगम परिधि में ही कराया जाता है तो सम्पूर्ण देय राशि निगम कोष में जमा कराने के पश्चात ही रद्दी ले जाने की अनुमति दी जावेगी ।

12 रद्दी की तुलाई, जीएसटी व अन्य कर व समस्त खर्चे जो कि उक्त दरों से अलग होगें, सफल बोलीदाता को वहन करने होगें । सभी कर विक्रय मूल्य में सम्मिलित कर निगम कोष में जमा करवाने होगें ।

13 निगम द्वारा सफल बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि जिसकी अनुमति पूर्व में प्राप्त करनी होगी, को ही निगम मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में आने की अनुमति दी जावेगी ।

14 यदि सफल बोलीदाता द्वारा रद्दी उठाने की सूचना हेतु जारी पत्र के दस दिवस में मुद्रणालय की रद्दी नहीं उठायी जाती है तो इसके बाद मुद्रणालय की रद्दी उठाने की दिनांक तक ग्राउण्ड रेन्ट के रूप में 100/– रूपये प्रति दिन की दर से राशि निगम कोष में जमा करानी होगी ।

15 बोली को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।

16 बोली के बारे में किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निगम अध्यक्ष पंच निर्णायक होगें । जिनका फैसला दोनो पक्षों को बाध्यकारी होगा तथा इसके अभाव में कोई भी पक्ष न्यायालय में नहीं जा सकेगा ।

17 किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा ।

महा प्रबन्धक (वित्त)

बोलीदाता के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

बोली दरों का विवरण

बोलीदाता का नाम एवं पूर्ण पता.....

.....

.....

प्रेषितः

1 मैं/हम वर्ष 2017–18 (एक वर्ष) हेतु सीमित बोली के तहत दर संविदा के क्रम में इस प्रपत्र के साथ संलग्न पृष्ठानुसार वर्णित शर्तो को पूर्णतया समझते हुए स्वीकार करता हूँ/करते हैं । इसके लिए मैने/हमने इस प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तो के प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

2 निगम प्रिंटिंग प्रेस, मुख्यालय, जयपुर में उपलब्ध रद्दी क्रय करने हेतु निम्नलिखित दरों पर सहमत हूँ/हैं ।

क.स.	रद्दी का नाम	प्रति किलोग्राम/नग
1	सफेद पेपर कतरन	/रू0 प्रति किलोग्राम
2	श्रेडेड पेपर कतरन	/रू0 प्रति किलोग्राम
3	मैलेट पेपर	/रू0 प्रति किलोग्राम
4	इनर कोर	/रू0 प्रति किलोग्राम
5	प्लास्टिक टाट	/रू0 प्रति किलोग्राम
6	स्याही के खाली डिब्बे	
	एक किलोग्राम का डिब्बा	प्रति नग
	दो किलोग्राम का डिब्बा	प्रति नग
	पॉच किलोग्राम का डिब्बा	प्रति नग
	20–25 किलोग्राम की बाल्टी	प्रति नग

3 मेरी/हमारी दरें अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी ।

4 बिड सिक्योरिटी (धरोहर) राशि 2000/– रूपये (अक्षरे दो हजार रूपये मात्र) रसीद संख्या/डी.डी संख्या..... दिनांक..... के द्वारा राजस्थान परिवहन निगम के पक्ष में जमा करवा दिये गये है ।

पेन नंबरः–

जीएसटी नं.:–

महा प्रबन्धक (वित्त)

बोलीदाता के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner